न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 08/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. रामभरोस
2. लक्ष्मीनारायण पुत्रगण किशनलाल
3. बादामबाई
4. पुष्पाबाई पुत्रियां किशनलाल

5/1 नरेश

5/2 कमल

5/3 हेमन्त नाबालिग पुत्र बुजमोहन

6 मन्नीबाई पत्नि रामप्रताप

7. पुष्पाबाई पत्नि मदनलाल जातिगण रेगर निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला बारां (अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर एड़. (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 14.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के विवादित आराजी ख0नं0 65/338 रकबा 1.62 है. किस्म माल I वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 55 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब की किस्म माल I का अवैधानिक रूप से दिनांक 03.03.1974 को आवंटन किया जाकर नेनगा पुत्र परमा जाति जाटव निवासी बारां के खाते दर्ज कर दिया। उक्त [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित [illegible] परमा को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान [illegible] सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक [illegible]2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला कलक्टर

बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी क्रम 1, 4, 5/1 ता 5/3, 6 व 7 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी परन्तु जवाब पेश करने हेतु इन्कार करने पर जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वंय भी अनुपस्थित रहने पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4– हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा नंबर 55 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै. मु. तालाब के हाल खसरा नंबर 65/338 रकबा 1.62 कायम किये जाकर नेनगा पुत्र परमा को आवंटन दिनांक 03.03.1974 के आधार पर खाते दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तालाब थी, जो परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 65/338 रकबा 1.62 है. किस्म माल I बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तालाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 55 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा का नेनगा पुत्र परमा को आवंटन किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:23 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी संवत 2038–57 खसरा नंबर 65/338 रकबा 1.62 किस्म माल । नेनगा पुत्र परमा के गैर खाते दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 65/338 रकबा 1.62 है., जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार नेनगा पुत्र परमा को जिस वक्त भूमि आवंटन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। नेनगा पुत्र परमा को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि नेनगा पुत्र परमा को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 65/338 रकबा 1.62 है. बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तालाब दर्ज थी जिसका आवंटन नेनगा पुत्र परमा को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 65/338 रकबा 1.62 है. किस्म माल ।, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 55 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब से बना है जिसका नेनगा पुत्र परमा को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)